



निगरानी प्रो क्रं 04543 / बी.बी. 3

2016

निकाल तारीख 18/1/2017

प्रस्तुती दिनांक 18/1/2017

राजस्थान श्रीमान् राजस्व मंडल म.प्र. केम्प इंदौर के समक्ष

प्रकाशचन्द्र पिता ओकंरजी पालीवाल व अन्य प्रार्थीगण

विरुद्ध

श्रीमति कांता बाई पति ओमप्रकाशजी दुबे व अन्य .. प्रतिप्रार्थीगण
आवेदनपत्र धारा 35 म.प्र. मू- राजस्व संहिता सहपठित
आदेश -9 नियम 9 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता
के अन्तर्गत ।

प्रार्थीगण की ओर से विनम्र प्रार्थना है कि:-

1. यह कि, प्रार्थीगण की ओर से उपरोक्त निगरानी प्रकरण क्रमसं 4343/बी. बी. आंर. / 2016 प्रतिप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया होकर उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता एन.जी बाहेत पेशी कर रहे हैं ।
2. यह कि, उपरोक्त निगरानी दिनांक 18/1/2017 को प्रारंभिक तर्क होकर उ ग्राहता के लिये श्रीमान् के समक्ष इंदौर केम्प में नियत थी, परन्तु प्रार्थीगण के अधिवक्ता एन.जी. बाहेती अन्य न्यायालयीन प्रकरण में व्यस्त हो गये हैं तथा उपरोक्त प्रकरण की सुनवाई के लिये जब पुकार लगायी तो उक्त निगरानी प्रार्थीगण के अधिवक्ता और उनकी अनुपस्थिति में निरस्त कर दी गयी है।
3. यह कि, प्रार्थीगण के अधिवक्ता अन्य न्यायालयीन प्रकरण में व्यस्त होने के कारण तथा प्रकरण ग्राहता के लिये था इस कारण प्रार्थीगण की उपस्थिति भी आवश्यक नहीं थी तथा प्रार्थी के अधिवक्ता अन्य न्यायालय में प्रकरण में व्यस्त होने से पुकार के समय उपस्थित नहीं हो पाये ऐसी स्थिति में उनकी अनुपस्थिति तदभावना पूर्वक होकर क्षमा योग्य है।
4. यह कि, उपरोक्त आवेदन पत्र बिना विलंब के निर्धारित

21.2.2017

कलकत्ता

प्रस्तुतकार

१५

आवेदक की ओर से श्री
संजीव बाबू आभ्यासक उपाध्याय
को (पुने गये) अनुपाध्याय का
कारण समाधान का होना से
मूल प्रकरण पुनः स्थापित किया

जाता है। इस प्रकरण में
कार्यवाही शेष नहीं होने से
समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष